न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

मेसर्स राजपूत गन सर्विस द्वारा श्री डी0 एस0 साहनी पिता श्री के0 एस0 साहनी मे0 राजपूत गन सर्विस ढेकहा तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

———————आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

1– मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर जिला रीवा (म0प्र0)

2– जुगुलकिशोर कनोडिया तनय स्व0 राधाकृष्ण कनोडिया निवासी जयस्तंभ चौक ढेकहा तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

3– श्रीकृष्ण मेहरोत्रा पिता स्व0 रामकृष्ण खत्री बरही कटनी म0प्र0

4– श्रीमती प्रभा मेहरोत्रा पत्नी जयकृष्ण मेहरोत्रा

5– आशीष मेहरोत्रा तनय जयकृष्ण मेहरोत्रा दोनों निवासी महदेवा तहसील रघुराजनगर सतना (म0प्र0)

6– नानकराम

7– घनश्यामदास

8– जवाहरलाल

9– ईश्वरीदेवी खत्री

(6 से 9) चारों के पिता गोपालदास सभी निवासी पुराना बस स्टैण्ड रीवा जिला रीवा (म0प्र0)

10– क्षेत्रीय प्रमुख खनिज साधन विभाग क्षेत्रीय कार्यालय रीवा (म0प्र0)

———————अनावेदकगण / गैरनिगरानीकर्ता

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश

श्रीमान् कलेक्टर सा0 जिला रीवा
प्रकरण कमांक 8/अ–74/ स्वमेव
निगरानी/2015–16 दिनांक 27 मार्च
बावत् आराजी नम्बर 162–190 स्थित
ग्राम ढेकहा जिला रीवा (म0प्र0)

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश विधि, प्रकिया एवं प्रकरण में मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य के सर्वथा विपरीत है साथ ही उपरोक्त आदेश माननीय न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के सर्वथा प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अवहेलना व अनदेखी कर आलोच्य आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के सिद्धान्तों की पूरी तरह अनदेखी कर प्रकरण में बिना अन्तिम तर्क सुने आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। प्रकरण ट्रान्सफर प्रार्थना पत्र पर माननीय आयुक्त महोदय ने अपने न्यायालय में मंगाया था तथा प्रकरण लौटने पर आवेदक व अन्य को व्यक्तिगत रूप से सुने बिनाजो आदेश पारित किया गया है वह निरस्त योग्य है।

3– यह कि आवेदक/निगरानीकर्ता एक सद्भावी केता (Bonafide purchaser) है उसमें 82,000/–रू0 विकय मूल्य अदाकर आराजी नम्बर नया 190 को रामकृष्ण खत्री से रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा 05.12.92 को खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है और तब से उसका भूमि पर निरन्तर अवाध गति से कब्जा चला आ रहा है इस तथ्य को अनदेखा कर आलोच्य आदेश द्वारा आराजी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/2108

राजपूत गन सर्विस विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-04-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री डी.एस.चौहान उपस्थित । आवेदक द्वारा शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया गया । आवेदक के अनुरोध प्रकरण आज लिया गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 8/अ-74/स्वमेव निगरानी/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 27-03-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. यह प्रकरण दिनांक 26-06-2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे । 3. उभय पक्ष को नोट कराया जाये । (बी.एम.शर्मा) सदस्य	